ई-अन्नदाता वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड

"किसान है अन्नदाता-सबका भाग्य विधाता"

(सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)

Website: www.eAnnadata.in | Toll Free: 1800-208-5254

eAnnadata

Viksit Bharat (participation)

पत्रांक eAnna/2501/332 दिनांक 30/01/2025

सेवा में,

समस्त केयर सेंटर/पार्टनर (रजिस्ट्रार),

विषय: उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम) के अंतर्गत EDP प्रशिक्षण एवं भारत सरकार की योजना से ऋण प्राप्ति हेतु लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरण संबंधी दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित "उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम)" का उद्देश्य प्रत्येक घर में कम से कम एक उद्यम स्थापित करना है। इस अभियान के अंतर्गत EDP (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) प्रशिक्षण के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 25% - 35% तक की सब्सिडी पर लोन प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, चयनित लाभार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता देने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाएगी एवं प्रशिक्षण केंद्रों को भी सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।

योजना की पात्रता एवं लाभ

1. पात्रता:
   योजना में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
   अभ्यर्थी को साक्षर (लिखने-पढ़ने में सक्षम) होना आवश्यक है।
2. आवेदन शुल्क:
   सामान्य अभ्यर्थी: ₹5000 + जीएसटी।
   किसान परिवार के अभ्यर्थी: 60% सब्सिडी, यानी केवल ₹2000 + जीएसटी देय होगा।
   (आवेदन शुल्क की राशि ऋण प्राप्ति के बाद अभ्यर्थी के खाते में वापस कर दी जाएगी।)
3. प्रोत्साहन राशि का वितरण:
   लाभार्थी को – ₹2000/- (ऋण सर्टिफिकेट व दस्तावेज जमा करने पर)
   ट्रेनिंग सेंटर व पार्टनर (रजिस्ट्रार) को – ₹3000/- प्रति लाभार्थी।
4. ऋण राशि – विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख तक।
   सर्विस क्षेत्र के लिए 25 लाख तक।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

1. सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी ई-अन्नदाता को जमा करना अनिवार्य होगा।
2. प्रशिक्षण केंद्र को अभ्यर्थियों को योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाणपत्र जारी करना होगा।
3. अभ्यर्थियों एवं प्रशिक्षण केंद्रों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया ई-अन्नदाता द्वारा (DBT) डायरेक्ट फंड ट्रांसफर योजना के अंतर्गत स्वतः की जाएगी।
4. ई-अन्नदाता द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का ऋण आवेदन स्वयं किया जाएगा।
5. 31 मार्च 2026 तक प्रत्येक जिले के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ की प्रोजेक्ट लागत निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक जिले से अधिकतम 2000 अभ्यर्थियों को ही योजना में शामिल किया जाएगा।
6. योजना के तहत प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जो सभी शर्तों को पूरा करेंगे।

आपकी भूमिका एवं सहयोग

आपसे अनुरोध है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योग्य लाभार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षित करें और उनकी ऋण प्राप्ति में सहायता करें। इस योजना के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सादर,

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
पीरनगर, गाज़ीपुर – 233001 (उ०प्र०)

eAnnadata Welfare And Development India Limited

"गौरवान्वित किसान- विकसित भारत" विजन– 2047